436

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: १२०१८ निगरानी

निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/0447

दिनांक 15.1.18 को श्री .... अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत / 15.1.18

पेश दि० 22.1.18

रामवेटी बेवा श्री राममरोसे सिंह,
निवासी ग्राम नुन्हड़, तहसील गोरमी,
जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश)।

------प्रार्थिया

विरुद्ध

१- प्रहलाद सिंह पुत्र भागीरथ सिंह,
२- कल्यान सिंह | पुत्रगण प्रहलाद सिंह
३- बजरंग सिंह |
४- राम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नाबालिग वसरपरस्त मां गीताबाई पत्नी प्रहलाद सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम नुन्हड़ तहसील गोरमी (मेहगांव)
जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय मेहगांव दिनांकी २८-११-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र०-२१।१४-१५-अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने संशोधित पाद मंगाये जाने मै कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है।

४- यह कि, प्रारम्भिक न्यायालय द्वारा विधिवत अभिलिखित सह-भूमि स्वामियों के मध्य बटवारा आदेश पारित किया है। बटवारा

XXIX(a)-BR(H)-11

(436)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/0447

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	